



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272391
CG-DL-E-09052026-272391

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2268]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2359(अ).—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 136 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम के महानिदेशक, चिकित्सा आयुक्त, बीमा आयुक्त, अपर आयुक्त, क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'क'/निदेशक, उप चिकित्सा आयुक्त, डीन, निदेशक (चिकित्सा), चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या प्रबंधक श्रेणी-I, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या प्रबंधक श्रेणी-II या निगम के अधीक्षक को निगम के नाम पर निगम के हित में आवश्यक वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने और सभी न्यायालयों या अधिकरणों या उक्त संहिता के अधीन स्थापित सहित किसी अन्य प्राधिकरण, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, में निगम के विरुद्ध संस्थित ऐसी किसी कार्यवाही का बचाव करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर-19025/20/2026-एस एस-I]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2359(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 136 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby authorises the Director General, Medical Commissioner, Insurance Commissioner, Additional Commissioner, Regional Director Grade 'A'/Director, Deputy Medical Commissioner, Dean, Director (Medical), Medical Superintendent, Regional Director Grade 'B'/Joint Director, Deputy Director, Assistant Director or Manager Grade-I, Inspector-cum-Facilitator or Social Security Officer or Manager Grade-II or Superintendent of the Corporation to institute in the name of the Corporation, suits and other legal proceedings necessary in the interest of the Corporation and to defend any such proceedings instituted against the Corporation in all courts or tribunals or any other authority as may be specified including those established under the said Code.

[F. No. R-19025/20/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.